भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1863
05 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

रक्त के संरक्षण और निपटान को नियंत्रित करने हेतु कानून

1863: डॉ. अजित माधवराव गोपछड़े :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्त केंद्रों में मानक संचानल प्रकियाओं जैसे रक्त घटक तैयार करना, संग्रहण, प्रसंस्करण, संगतता परीक्षण, भंडारण और वितरण जैसे पहलुओं के उल्लंघन के लिए शास्तियों का प्रवर्तन करने में औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 अपर्याप्त है और क्या यह सच है कि इस समस्या के समाधान के लिए कार्रवाई की गई है या योजना बनाई जा रही है; और

(ख) न्यायालय की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 17 सितम्बर, 2024 को विशेष रूप से बिंदु 7 में केंद्र सरकार द्वारा रक्त के संरक्षण और निपटान को नियंत्रित करने के लिए शीघ्र ही कानून बनाए जाने की उम्मीद व्यक्त की गयी थी, के संबंध में मंत्रालय द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों में देश के अंतर्गत रक्त केंद्रों (ब्लड सेंटर) के संचालन हेतु एक व्यापक नियामक ढांचा निर्धारित किया गया है। रक्त एवं उसके घटकों के संग्रह, प्रसंस्करण, भंडारण एवं वितरण से संबंधित मानक तथा तकनीकी आवश्यकताएँ औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची 'एफ', भाग XII-ख में निर्दिष्ट की गई हैं। इस अधिनियम एवं नियमों का उल्लंघन दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है, और संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारों को ऐसे मामलों में विधिसम्मत कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है।

(ख): भारत सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17.09.2024 को पारित आदेश को संज्ञान में लिया है, जिसमें न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि उसे इस विषय में कोई संदेह नहीं है कि वैधानिक प्रावधानों को बनाते समय, केंद्र सरकार न्यायालय उक्त सुझावों पर विचार करेगी, और यदि सुझाव उचित, न्यायसंगत एवं उपयुक्त पाए जाते हैं, तो केंद्र सरकार उन्हें अपनाने पर विचार कर सकती है। साथ ही, न्यायालय ने इस आशय से तीन याचिकाओं का निस्तारण किया है कि रक्त के संरक्षण एवं निपटान को विनियमित करने हेतु केंद्र सरकार शीघ्र ही अधिनियम बनाने में तेजी से कार्य करेगी, ताकि आम नागरिकों को इस संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की शिकायत का सामना न करना पड़े। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को यह स्वतंत्रता प्रदान की है कि यदि उनकी शिकायतें यथोचित रूप से न सुलझें, तो वे पुनः न्यायालय का रुख कर सकते हैं।

*****